राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :—F-109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.off/2023/8860 दिनांकः— 29/08/23

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के क्रम में जारी विज्ञप्ति क्रमांक F-109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.off./2023/4649, दिनांक 05.05.2023 के क्रम में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अंकित डेटा/प्रविष्टियों के आधार पर आवेदक की श्रेणी व वर्गवार मेरिट अनुसार लगभग 1.5 गुना आवेदकों का दस्तावेज सत्यापन कार्य दिनांक 02.09.2023 से संलग्न कार्यक्रम अनुसार किया जावेगा। अतः आमंत्रित आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय अनुसार राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर में व्यक्तिगत रूप से ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट एवं आवेदन के साथ अपलोडेड समस्त दस्तावेजों की स्वः सत्यापित फोटो प्रति तथा मिलान हेतु समस्त संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दस्तावेज सत्यापन हेतु आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गए प्राप्तांको (12वीं व व्यावसायिक योग्यता के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत) एवं बोनस अंक(यदि लागू हो), के आधार पर श्रेणी व वर्गवार मेरिट बनाकर आमंत्रित किया जा रहा है जिसका सत्यापन अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से किया जाकर प्रोविजनल मेरिट तैयार की जायेगी। अतः दस्तावेज सत्यापन हेतु वास्तविक कट—ऑफ जारी नहीं की जा सकती है। दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने का तात्पर्य आवेदक की पात्रता की जांच करने मात्र से है एवं यह किसी भी रूप में मेरिट में चयन किया जाना नहीं है। आवेदकों की मेरिट सूची व कट—ऑफ दस्तावेज सत्यापन के परिणाम पर निर्भर होगी। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार ही कार्यवाही की जायेगी। विशेष योग्यजन वर्ग के अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दस्तावेज सत्यापन की दिनांक पर प्रथमतः प्रातः 8.00 बजे सूची में अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख अंकित संबंधित अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपनी उपस्थिति देंगे व परीक्षणोपरान्त उसी दिन संस्थान में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें। मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित न होकर, सीधे ही दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन नहीं किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा तथा इनकी पात्रता स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। ई—मेल, डाक या अन्य किसी माध्यम से भिजवाये गये दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। कार्यक्रम अनुसार आमंत्रित आवेदकों की सूची तथा इस संबंध में दिशा—निर्देशों एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची अवलोकन हेतु वैबसाईट www.sihfwrajasthan.com एवं www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है।

29/08/23

निदेशक
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
जयपुर, राजस्थान